न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 30/2019

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
अनोपसिंह पुत्र गेमरसिंह जाति राजपूत निवासी नागड़दा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. अदला पुत्र सादी जाति मुसलमान निवासी नागड़दा तहसील शिव जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 16.07.1976

उपस्थिति :–

1. श्री नवलसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र रामावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 30.06.1976 के दौरान कृषि भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम नागड़दा के खसरा नम्बर 217/1 की रकबा 87–13 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2019 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवंटी अदला ने आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष भूमिहीन होने का गलत तथ्य पेश कर मौजा नागड़दा के खसरा सं. 217 रकबा 87–08 बीघा का आलौच्य आवंटन करवा लिया था। अप्रार्थी सं. 2 अदला उर्फ अब्दुल करीम उर्फ अब्दुला पुत्र सादी के नाम ग्राम बूलों की ढाणी पटवार हल्का नागड़दा में खसरा सं. 41 रकबा 33–18 बीघा, खसरा सं. 42 रकबा 09–03 बीघा, मौजा कायम की बस्ती पटवार हल्का नागड़दा के खसरा सं. 364/253 रकबा 25–16 बीघा, मौजा मेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोटड़ा के खसरा सं. 1314/1108 रकबा 20–04 बीघा कुल 89–01 बीघा भूमि थी, इसके बावजूद अदला उर्फ अब्दुल करीम उर्फ अब्दुला पुत्र सादी ने अपने आपको भूमिहीन बताकर मिथ्या व्यपदेशन द्वारा गलत आवंटन करवाया हैं। अतः अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे किया गया विधि विरूद्ध आवंटन खारिज कर भूमि राज्य सरकार के पक्ष मे लिये जाने का आदेश फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई हित अधिकार नहीं है, जैसाकि प्रार्थना–पत्र के पद सं. 1 में अंकित किया हैं कि प्रार्थी के पिता की खातेदारी भूमि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 28.05.1979 को खालसा की जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई थी। अप्रार्थी सं. 2 को नुकसान पहुंचाने के लिये ईश्यावश यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन पत्र लगभग 43–44 वर्षों की लम्बी समयावधि के बाद प्रस्तुत किया गया हैं तथा आवंटन के पश्चात अप्रार्थी सं. 2 को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो गये है। अप्रार्थी को भूमि आवंटन के विरुद्ध प्रार्थी किसी प्रकार से प्रभावित पक्षकार नहीं है जिन्हे इस [illegible] के द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। अप्रार्थी [illegible] साथ नेशनल शेयर गणना में उसके नाम खातेदारी भूमि कम होने [illegible] भूमिहीन होने के आधार पर आलौच्य आवंटन किया गया है तथा स्वंय हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर

अप्रार्थी को भूमिहीन होना अंकित किया हैं। आवंटित भूमि को 43–44 वर्षों के बाद आवंटन निरस्त करना न्यायसंगत नही हैं। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी अदला द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, क्योंकि उसके नाम ग्राम बूलों की ढाणी पटवार हल्का नागड़दा में खसरा सं. 41 रकबा 33–18 बीघा, खसरा सं. 42 रकबा 09–03 बीघा, मौजा कायम की बस्ती पटवार हल्का नागड़दा के खसरा सं. 364/253 रकबा 25–16 बीघा, मौजा मेहरों की ढाणी पटवार हल्का कोटड़ा के खसरा सं. 1314/1108 रकबा 20–04 बीघा कुल 89–01 बीघा भूमि खातेदारी के अन्तर्गत आई हुई थी। इसके बावजूद भी उसके द्वारा आलौच्य आवंटन कराया हैं। इस प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि हैं कि यह प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नही हैं। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक निर्णय नजीर आरआरटी 2016–17(सप्ली.) पेज 304 एवं आरआरटी 2007(2) पेज 1430 प्रस्तुत की गई, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय नजीर के पद सं. 7 में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि–

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय एआईआर 1994 पेज 1128 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि यदि कोई आवंटन अनियमित भी हुआ हो तो भी इतनी लम्बी [illegible] करना न्याय के साथ खिलवाड़ (Travesty of Justice) है। [illegible] पुराना हैं और इतने पुराने मामले में 40 वर्ष बाद खातेदारी के [illegible] से अधिक भूमि काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये बिना [illegible]स लेने का निर्णय बहुत कठोर निर्णय होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर

मननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का आलम्ब लेते हुए जो निर्धारित किया गया हैं वह हस्तगत प्रकरण में भी लागू होता हैं तथा प्रार्थीगण द्वारा आलौच्य आवंटन आदेश को करीब 43 वर्ष बाद चुनौती दी है जो अप्रार्थीगण सं. 1 को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाने के बाद अब निरस्त किया जाना न्यायसंगत नही हैं। इसके अलावा प्रार्थी इस आवंटन से किस प्रकार हितबद्ध पक्षकार हैं इसका कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना–पत्र के संलग्न अप्रार्थी की खातेदारी भूमि की जमाबन्दियों की जो प्रतियां प्रस्तुत की हैं, इससे कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि वक्त आवंटन यह भूमि अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज थी अथवा अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अर्जित की गई हैं। इस प्रकार लगभग 43 वर्ष पूर्व आवंटन हुआ है जिसे अब इतने लम्बे अंतराल के बाद जब उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं। इसके साथ ही तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी भूमि की जो जमाबन्दियां प्रस्तुत की गई है, इसके सम्बन्ध में जांच उपरांत यदि पाया जाता हैं कि वक्त आवंटन अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रही हैं तथा आलौच्य आवंटन मिथ्या व्यपदेशन द्वारा कराया गया हैं तो नये सिरे से कार्यवाही प्रस्तुत करें।

7. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.27 15:51:24 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर